राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 613/2013
सहीराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सविवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
4. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में दिनांक 01.03.1993 को हुई तथा उसे आदेश दिनांक 01.06.1998 के द्वारा दिनांक 01.01.1995 से बेलदार के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.02.2000 के द्वारा दिनांक 01.01.2000 से बेलदार के पद पर नियमित घोषित कर दिया गया। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वाहन चालक के रूप में कार्य करवाया जा रहा है। अपीलार्थी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। प्रत्यर्थी विभाग विभाग के अधीन कार्यरत कार्यप्रभारित सहायक जो दिनांक 31.03.1994 तक नियुक्त एवं 31.03.1999 तक पांच वर्ष का विभागीय वाहन चलाने का अनुभव व निरन्तर विभागीय वाहन चला रहे है उन्हें वाहन चालकों के पद पर नियुक्त करने हेतु सूचनाएं मांगी गई, जिसकी सूचना पत्र दिनांक 30.05.2003 को निर्धारित प्रारूप में अधिशाषी अभियंता द्वारा भिजवाई गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित है। इसी प्रकार की एक सूचना अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वा०अभि० विभाग क्षेत्र बीकानेर द्वारा

दिनांक 11.10.2004 को भिजवाई गई। इसके पश्चात् पत्र दिनांक 08.09.2008 के द्वारा अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग खण्ड अनूपगढ द्वारा अति० मुख्य अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग क्षेत्र बीकानेर एवं अधीक्षण अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग वृत श्रीगंगानगर को अपीलार्थी के वाहन चालक के रूप में कार्य करने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाई गई। अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग खण्ड अनूपगढ द्वारा अधीक्षण अभियंता, जन स्वा० अभि० वि० वृत श्री गंगानगर को अपीलार्थी के मूल सेवा रिकार्ड सहित पत्र दिनांक 10.10.2008 प्रेषित कर सूचित किया गया कि अपीलार्थी के अतिरिक्त अब कोई भी वाहन सहायक इस खण्ड में कार्यरत नहीं है। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 13.10.2008 के द्वारा 104 विभाग के अधीन कार्यरत कार्यप्रभारित सहायक जो दिनांक 31.03.1994 तक नियुक्त एवं 31.03.1999 तक पांच वर्ष का विभागीय वाहन चलाने का अनुभव व निरन्तर विभागीय वाहन चला रहे थे उन्हे वाहन चालक के पद पर नियुक्त किया गया किन्तु अपीलार्थी के संबंध में संपूर्ण सूचना उपलब्ध होने के पश्चात् भी उसे वाहन चालक के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई। पुनः आदेश दिनांक 06.07.2009 को 14 कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वाहन चालक के पद पर नियुक्त किया गया किन्तु अपीलार्थी उनके समान होते कर्मी होते हुए भी एवं उसकी समस्त सूचना उपलब्ध होने के उपरांत भी उसे वाहन चालक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी के संबंध में समस्त सूचना उपलब्ध होने के उपरांत भी उसे जब वाहन चालक के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई तो उसने एक अभ्यावेदन दिनांक 28.08.2010 को प्रेषित किया। किन्तु कोई कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर नहीं की गई। इसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पुनः एक अभ्यावेदन/स्मरण पत्र दिनांक 20.12.2012 को प्रस्तुत किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर एक न्याय प्राप्ति की मांग हेतु सूचना दिनांक 23.06.2013 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवाई।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को वाहन चालक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाये और वाहन चालक के पद के वेतन भत्ते आदि का लाभ उसी प्रकार देवे जिस प्रकार से

आदेश दिनांक 13.10.2008 के द्वारा अपीलार्थी के समान अन्य कर्मियों को वाहन चालक के रूप में नियुक्ति कर प्रदान किये गये है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 01.01.1993 को दैनिक वेतनभोगी श्रमिक के रूप में भर्ती हुआ था और प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.02.2000 के द्वारा ग्रामीण जल योजना पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उसे नियमित घोषित किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यप्रभारित बेलदार के पद पर कार्यरत है और अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में वाहन चालक का कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही अपीलार्थी वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियमों के अनुरूप वांछित पात्रता रखता है। अतः अपीलार्थी वाहन चालक के पद पर नियुक्ति का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2003 के द्वारा नियमानुसार उन कार्यप्रभारित सहायकों को वाहन चालक के रूप में नियुक्ति दी गयी जो निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनिकी योग्यता/पात्रता रखते थे। चूंकि अपीलार्थी ने विभाग में वाहन सहायक के रूप में कार्य किया है और अपीलार्थी वांछित पात्रता नहीं रखता है। अतः अपीलार्थी की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में किया जाना संभव नहीं था। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यप्रभारित बेलदार के पद पर कार्यरत है और अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में वाहन चालक का कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही अपीलार्थी वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियमों के अनुरूप वांछित पात्रता रखता है। अतः अपीलार्थी वाहन चालक के पद पर नियुक्ति का अधिकारी नहीं है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हुई थी। बाद में अपीलार्थी को बेलदार के पद पर अर्द्धस्थायी किया गया और बाद में नियमित किया गया। अपीलार्थी वाहन चालक का काम करता था और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अन्य बेलदारों को वाहन चालक के पद पर पदोन्नति दी गई, परंतु अपीलार्थी को वाहन चालक के पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया। प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी निर्धारित शैक्षणिक

योग्यता एवं तकनीकि योग्यता धारित नहीं करता था, इस कारण से अपीलार्थी को वाहल चालक के रूप में नियुक्त किया जाना संभव नहीं था। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह वाहन चालक के पद के लिए निर्धारित योग्यता रखता हो। इस कारण से प्रत्यर्थी विभाग के जवाब को अपीलार्थी खण्डित नहीं कर सका है। अपीलार्थी वाहन चालक की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो, यह अपीलार्थी स्पष्ट नहीं कर सका है, ऐसे में हम प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से सहमत है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित योग्यता धारित नहीं करने के कारण वाहन चालक के रूप में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

5. परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)